न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक —एक/2015 निगरानी

निगरानी 2265-I-15

मंटोला तनय छिलगा अहिरवार

निवासी जरूवा,तहसील व थाना

जतारा, जिला— टीकमगढ म0प्र0

विरूद्ध

1. दयाली तनय नथुवा चढार

निवासी ग्राम--जरूवा,तहसील व थाना

जतारा, जिला— टीकमगढ म0प्र0

2. राजस्व निरीक्षक, मण्डल जतारा,

तहसील जतारा, जिला—टीकमगढ़ म.प्र.

राजस्व निरीक्षक जतारा द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ--12/2014--15 में पारित आदेश दिनांक 5--6--2015 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा--8 एवं 50 मध्यप्रदेश भू-- राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:--

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक ने अपनी भूमि सर्वे कमांक 1178 का विधिवत सीमांकन कराया था सीमांकन प्रकरण कमांक 5/2012--13 था. उक्त सीमांकन में अनावेदक दयाली एवं उसके भाईयों का अतिक्रमण आवेदक की भूमि पर पाया गया था सीमांकन के पश्चात आवेदक ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन दिया तब अनावेदक ने आवेदक की भूमि पर से अपना अवैध आधिपत्य हटा लिया था.जिसका प्रकरण क्रमांक 2/अ--70/2013—14 है. इस प्रकरण में दिनांक 6—4—2015 को अनावेदक दयाली की उपस्थिति में आदेश पत्रिका लिखी गयी तथा प्रकरण समाप्त किया गया.

3. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक की आवेदन पत्र पर की आवेदक को सीमांकन की कार्यवाही के दौरान न तो कोई व्यक्तिगत सूचना दी गयी और न ही आवेदक के सामने भूमि के सीमांकन की कार्यवाही की गयी अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से कार्यवाही करते हुए अनावेदक को अनुचित लाभ पहुचनाने के उददेश्य से सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी.ऐसी कार्यवाही अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

4. यह कि, आवेदक ने जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति करते हुए स्पष्ट रूप से उक्त कार्यवाही की अनियमिता की और ध्यान आकर्षित करतें हुए उक्त कार्यवाही को निरस्त करने हेतु निवेदन किया . अधिनस्थ न्यायालय ने उन आपत्तियों पर बिना कोई

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2265–एक/15 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	यह प्रकरण निगरानी 2265–एक/15 राजस्व मण्डल में राजस्व निरीक्षक जतारा द्वारा प्रकरा कमांक 7/अ–12/14–15 में पारिज आदेश दिनांक 5.6.15 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगराकार मंटोला एवं गैर निगराकार दयाली सीमावर्ती कृषक हैं । गैर निगराकार दयाली की भूमि खसरा न0 1057/1, 1058/1 और 1059 की पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा उनके प्रकरण कमांक 7/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15.6.15 से की गई, जिसमें उन्होंने निगरानीकर्ता मंटोला का खसरा न0 1058/1 एवं 1059 के अंश भागों पर अवैध कब्जा होना माना। यह आदेश पारित करने के पूर्व राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 5.6.15 के इसी प्रकरण में पारित एक मूल प्रकृति संक्षिप्त आदेश से मंटोला की इस आपत्ती को खारिज कर दिया था कि पूर्व में जब प्रकरण कमांक 5/अ–12/12–13 में मंटोला की भूमि खसरा न0 1176 का सीमांकन पुष्ट किया गया था, तो गैर निगराकार दयाली की उसकी भूमि खसरा न0 1176 के जिस भाग पर अवैध कब्जा बताया गया था, वह भू–भाग वही है जिसे अब खसरा न0 1058/1 और 1059 का हिस्सा मानकर गैर निगराकार दयाली की भूमि मानते हुये उस पर निगरानीकर्ता मन्टोला का अवैध कब्जा माना जा रहा है।	

3– मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। निगराकार पक्ष के अधिवक्ता ने निगरानी मेमों में लिखी और ऊपर लिखी जा चुकी बातों को दोहराया । गैर निगरानी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि सूचना पत्र पर मंटोला का अंगूठा निशान है, और राजस्व निरीक्षक ने मंटोला की आपत्ती खारिज करने के बाद सीमांकन की पुष्टि की है, अतः यह निगरानी अस्वीकार की जाए।

4– प्रकरण में विचार उपरांत मैं यह पाता हूँ कि राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 5.6.15 को निगरानीकर्ता मंटोला की आपत्ती अत्यन्त संक्षिप्त स्वरूप में बगैर आपत्ती के बिन्दुओं को आदेश में लिखे, और बगैर उसको अस्वीकार करने के कारणों और आधारों की स्पष्ट किये, मंटोला की आपत्ती को अस्वीकार किया है और अगली पेशी दिनांक 15.6.15 को सीमांकन पुष्ट कर दिया है, जो उचित नहीं है।

5– अतः मैं राजस्व निरीक्षक का आक्षेपित आदेश दिनांक 5.6.15 एवं सीमांकन की पुष्टि आदेश दिनांक 5.6.15 एतद् द्वारा निरस्त करता हूँ। साथ ही प्रकरण कमांक 5/अ–12/12–13 में निगरानीकर्ता मंटोला की भूमि खसरा न0 1176 के सीमांकन का आदेश भी इस प्रकरण के निराकरण से संबंध होने के कारण स्वमेव निगरानी में मेरे द्वारा लिया हुआ होना मानते हुये निरस्त करता हूँ। साथ ही तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ को यह निर्देश देता हूँ कि वे निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता दोनों की भूमियों का नये सिरे से सीमांकन दोनों पक्षों और अन्य हितबद्व पक्षकारों एवं सीमावर्ती कृषकों की उपस्थिति में नये सिरे से करें और नये सिरे दोनों की भूमियों के सीमांकन के आदेश पारित करें।

2/4/2016

आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार जतारा सूचित हों। रिकार्ड वापस हो। प्रकरण समाप्त। दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

2.3.16

सदस्य